



Neutral Citation No.-2026:AHC:57587

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 3895 वर्ष 2026

श्रीमती आरती उपाध्याय और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सौरभ त्रिपाठी, शशिकांत मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट जारी करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने अपना विवाह संपन्न कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह उनका पहला विवाह है। यह भी दावा किया गया है कि इस संबंध में उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उनका विवाह उनकी स्वतंत्र सहमति से बिना किसी दबाव के संपन्न हुआ है। आगे यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को इस प्रकार विवाह करने के कारण प्रतिवादियों द्वारा धमकी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

4. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 सीआर.एल.जे. 3309 में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के एक मामले पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

“यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि बेटे या बेटि से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते या हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते या उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो बालिग है, किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए और न ही उन्हें धमकी या हिंसा का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा के कृत्य करता है, चाहे स्वयं या उसके उकसावे पर, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके और आगे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निर्धारित कठोरकार्रवाई की जाए। कानून द्वारा।"

5. भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 और 29 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"28. अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को मनमानी न्यायालयों के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस हिरासत या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह मामले में यह माना है कि "इज्जत" के नाम पर हत्या में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, और ये कट्टर और सामंती मानसिकता वाले लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याओं के अलावा कुछ नहीं हैं। हमारी राय में इज्जत के नाम पर हत्याएं, चाहे किसी भी कारण से हों, दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं, जो मृत्युदंड के योग्य हैं। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को जड़ से खत्म किया जाए, जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के घृणित, असभ्य व्यवहार को रोकने के लिए यह आवश्यक है। जो भी व्यक्ति "इज्जत" के नाम पर हत्याएं करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

29. इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार को भेजी जाए, जो इसे सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों को वितरित करेंगे। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनरल/रजिस्ट्रार इसकी प्रतियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को भी वितरित करेंगे। निर्णय की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसएसपी/एसपी को सूचना हेतु वितरित करेंगे।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियाँ और निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किए जा रहे हैं और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को केवल यह आशंका है कि निजी प्रतिवादी उनके खिलाफ हिंसा कर सकते हैं या उन्हें परेशान कर सकते हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन मामले की खूबियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित न किया जाए यदि उसने याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 20.01.2026 को हुए विवाह का पंजीकरण आज से दो महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कराया जाए। यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो यहाँ दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

9. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या विवाह प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या याचिकाकर्ताओं की सही आयु पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

10. चूंकि याचिका का प्रारंभिक चरण में ही निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति, यदि आदेश तथ्यों को छुपाकर या गलत बयानों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो उसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

11. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच में बाधा नहीं बनेगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति चावन प्रकाश)

विजय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।